रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1052] नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2012/ज्येष्ठ 14, 1934
No. 1052] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2012/JYAISTHA 14, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2012

का.आ. 1268(अ).—राष्ट्रीय विनिर्माण नीति दस्तावेज के अध्याय-9 में शामिल प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण जोन (एनआईएमजेड) से संबंधित मामलों के लिए एक बोर्ड नामत: अनुमोदन बोर्ड (बीओए) का गठन करती है।

2. उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

i) संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - अध्यक्ष, पदेन

ii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय - सदस्य, पदेन

iii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - सदस्य, पदेन

iv) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय - सदस्य, पदेन

v) संयुक्त सचिव, भारत सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य, पदेन

vi) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय - सदस्य, पदेन

vii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य, पदेन

viii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग - सदस्य, पदेन

ix) मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य, पदेन

ix) मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य, पदेन

x) उद्योग विशेषज्ञ - सदस्य, पदेन

xi) उद्योग विशेषज्ञ - सदस्य, पदेन

xi) निदेशक अथवा उप-निदेशक, भारत सरकार,
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय -सदस्य सचिव, पदेन

3. किसी भी विशेष प्रस्ताव अथवा उसके भाग का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट दक्षता पर निर्भर करते हुए बोर्ड किसी अन्य सदस्य/विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकता है।

4. अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

1. एनआईएमज़ैड की स्थापना के लिए इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्रों की जांच करना तथा उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) के विचारार्थ ऐसे प्रस्तावों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की आवश्यकताओं को पूरा करते हों। एचएलसी के विचार करने के पश्चात प्रस्तावों को वाणिज्य और उद्योग मंत्री को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आरंभिक प्रस्ताव में संपुटित परियोजना की अवधारणा तथा डिजाइन के लिए आवश्यक किसी संशोधन की एनआईएमजैड के विकास चरण के दौरान जांच करना।

3. जोन के विकास हेतु रणनीति के संबंध में एनआईएमजैड के एसपीवी द्वारा दी गई प्रस्तुति तथा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए स्व: विनियमन हेतु एक कार्य योजना की जांच करना।

[फा. सं. 9/1/2012-एमपीएस]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2012

S.O. 1268(E).—In accordance with the provisions contained in Chapter 9 of the National Manufacturing Policy document, the Central Government hereby constitutes a Board called the Board of Approval (BOA) for matters pertaining to the National Investment and Manufacturing Zones (NIMZs).

2. The Board of Approval is constituted as follows:

i)	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion	-	Chairperson, ex-officio
ii)	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests	-	Member, ex-officio
iii)	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment	-	Member, ex-officio
iv)	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development	-	Member, ex-officio
v)	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Science and Technology;	-	Member, ex-officio
vi)	Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	-	Member, ex-officio

vii) Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs	-	Member, ex-officio
viii) Joint Secretary to the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue	-	Member, ex-officio
ix) Chief Controller of Accounts, DIPP	-	Member, ex-officio
x) Industry expert	-	Member, ex-officio
xi) Industry expert	-	Member, ex-officio
xii) Director or Deputy Secretary to the Government of India Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry	-	Member-Secretary ex-officio

3. The Board may co-opt any other member/expert depending upon the specific expertise required to appraise any particular proposal or part thereof.

4. The Terms of Reference of the Board of Approval are as follows:

1. To examine applications complete in all respects as per guidelines issued in this regard, for establishment of NIMZs and recommend such proposals for consideration to the High Level Committee (HLC) as are found to be meeting the requirements of the National Manufacturing Policy. After consideration by the HLC, the proposals will be put up for approval to Commerce and Industry Minister.

2. To examine during the development phase of the NIMZ, any amendment required to the concept and design of the project as encapsulated in the initial proposal submitted by the State Government.

3. To examine the submission by the SPV of a NIMZ regarding the strategy for development of the Zone and an action plan for self regulation to serve the objectives of the policy.

[F. No. 9/1/2012-MPS]
ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2012

का.आ. 1269(अ).—राष्ट्रीय विनिर्माण नीति दस्तावेज के अध्याय-1 में शामिल प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के लिए उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन करती है।

2. उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

(क) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	- अध्यक्ष
(ख) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग अथवा नामिती	- सदस्य
(ग) सचिव, राजस्व विभाग अथवा नामिती	- सदस्य
(घ) सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा नामिती	- सदस्य
(ङ) सचिव, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय अथवा नामिती	- सदस्य
(च) सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अथवा नामिती	- सदस्य
(छ) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा नामिती	- सदस्य
(ज) संयुक्त सचिव (एमपी अनुभाग के प्रभारी)	- सदस्य सचिव

3. नामिती भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के नहीं होने चाहिए।

4. यह समिति आवश्यकता होने पर संबंधित राज्यों सरकारों को आमंत्रित करे।

1990 GI/12-2

5. उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

(i) नीतिगत प्रावधानों के कार्यान्वयन को नियमित आधार पर मॉनीटर करना तथा अंतर-मंत्रालयी मामलों, यदि कोई हो, का समाधान करना।

(ii) इस प्रयोजन के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा संस्तुत एनआईएमजेड के विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करना।

(iii) जहां कहीं भी अनुमोदित हो, विशिष्ट एनआईएमजेड के विकास को मॉनीटर करना।

(iv) एमआईपीबी द्वारा विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित निदेशों, यदि कोई हों, पर विचार करना।

[फा. सं. 9/1/2012-एमपीएस]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2012

S.O. 1269(E).—In accordance with the provisions contained in Chapter 1 of the National Manufacturing Policy document, the Central Government hereby constitutes a High Level Committee (HLC) for matters pertaining to the implementation of the Policy.

2. The High Level Committee is constituted as follows:

a) Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion – Chairperson

b) Secretary, Department of Economic Affairs or Nominee – Member

c) Secretary, Department of Revenue or Nominee – Member

d) Secretary, Ministry of Environment and Forests or Nominee -- Member

e) Secretary, Ministry of Labour and Employment or Nominee – Member

f) Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises or Nominee – Member

g) Secretary, Ministry of Science and Technology – Member or Nominee

h) Joint Secretary (in-charge of MP Section) -- Member Secretary

3. The nominees shall not be below the rank of Joint Secretary to the Government of India.

4. The committee may invite concerned State Governments if required.

5. The Terms of Reference of the High Level Committee are as follows:

(i) To monitor the implementation of the Policy provisions on a regular basis and resolve inter-ministerial issues, if any.

(ii) To consider the specific proposals of NIMZs recommended by the Board of Approval constituted for the purpose.

(iii) To monitor the development of specific NIMZs wherever approved.

(iv) To consider the directions, if any, relating to the manufacturing sector given by the MIPB.

[F. No. 9/1/2012-MPS]

ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2012

का.आ. 1270(अ).—राष्ट्रीय विनिर्माण नीति दस्तावेज के अध्याय-4 में शामिल प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्द्वारा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास निधि (टीएडीएफ) संबंधी नीति के अध्याय-4 से संबंधित मामलों के लिए हरित विनिर्माण समिति (जीएमएसी) नामक एक समिति का गठन करती है।

2. हरित विनिर्माण समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

i) सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — अध्यक्ष, पदेन
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

ii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य तकनीकी अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य, पदेन
iv) संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा समतुल्य तकनीकी अधिकारी, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य, पदेन
v) संयुक्त सचिव, भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	सदस्य, पदेन
vi) अध्यक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन
vii) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी	सदस्य, पदेन
viii) महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	सदस्य, पदेन
ix) कार्यकारी निदेशक एवं प्रमुख, सीआईआई सोराबजी गोदरेज ग्रीन बिजनस सेन्टर, हैदराबाद	सदस्य, पदेन
x) निदेशक, केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलौर	सदस्य, पदेन
xi) उद्योग विशेषज्ञ	सदस्य, पदेन
xii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सदस्य-सचिव, पदेन

3. समिति संबंधित विषय पर, यदि आवश्यक हुआ तो, किसी अन्य विशेषज्ञ/एजेंसी को सहयोजित करे, तथा/अथवा उनकी सेवाओं उपयोग करे।

4. जीएमएसी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

i. "स्वच्छ एवं हरित" के रूप में प्रौद्योगिकी को वर्गीकृत करने के लिए उद्देश्य पूर्ण मानदंड निर्धारित करना। यह मानदंड जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना के उद्देश्य तथा समावेशी सतत विकास के लिए कार्यनीति के अनुरूप होगी। समिति इस प्रयोजन से एक तकनीकी उप-समूह गठित कर सकती है।

ii. वार्षिक रूप से पात्रता मानदंडों की समीक्षा करना क्योंकि प्रौद्योगिकी गतिशील है और निरन्तर विकसित हो रही है।

iii तीसरे पक्ष के प्रमाणन के प्रयोजन से विशेषज्ञों/एजेंसियों/पर्यावरण लेखा परीक्षकों का एक पैनल का गठन करना तथा पर्याप्त रूप से प्रचार करना।

iv. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास निधि का संचालन तथा समीक्षा करना। इसमें निधि के संचालन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे तथा इस प्रयोजन के लिए एक संस्थागत तंत्र का निर्णय लिया जाएगा जो इसके समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा।

v. प्रत्येक क्षेत्र के लिए मौके पर ही सह निर्णय लेना, कि विशेष क्षेत्र में विशिष्ट प्रौद्योगिकी वाली कितनी इकाइयों को सहायता दी जाएगी। समिति इस प्रयोजन के लिए एक तकनीकी उप-समूह गठित करे।

vi. वर्षा जल संरक्षण के लिए विकासकर्ता तथा औद्योगिक/संस्थागत इकाइयों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना। समिति इस प्रयोजन के लिए एक तकनीकी उप-समूह गठित करे।

vii. इनके द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अध्याय 4 के तहत प्रोत्साहनों के लिए सभी प्रस्तावों की जांच करना।

viii. एमआईपीबी के सूचनार्थ तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

[फा. सं. 9/1/2012-एमपीएस]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2012

S.O. 1270(E).—In accordance with the provisions contained in Chapter 4 of the National Manufacturing Policy document, the Central Government hereby constitutes a Committee called the Green Manufacturing Committee (GMAC) for matters pertaining to chapter 4 of the Policy on Technology Acquisition and Development Fund (TADF).

2. The Green Manufacturing Committee is constituted as follows:

i) Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion - Chairperson, ex-officio

ii) Joint Secretary to the Government of India or equivalent Technical Officer, Ministry of Environment and Forests - Member, ex-officio

iii) Joint Secretary to the Government of India or equivalent Technical Officer, Department of Science & Technology - Member, ex-officio

iv) Joint Secretary to the Government of India or equivalent Technical Officer, Ministry of New & Renewable Energy	-	Member, ex-officio
v) Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	-	Member, ex-officio
vi) Chairperson Central Pollution Control Board	-	Member, ex-officio
vii) Chairman and Managing Director Indian Renewable Energy Development Agency	-	Member, ex-officio
viii) Director General Bureau of Energy Efficiency	-	Member, ex-officio
ix) Executive Director and Head, CII Sorabji Godrej Green Business Centre, Hyderabad.	-	Member, ex-officio
x) Director, Central Manufacturing Technology Institute, Bangalore	-	Member, ex-officio
xi) Industry Expert	-	Member, ex-officio
xii) Joint Secretary to the Government of India Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry	-	Member-Secretary ex-officio

3. The committee may co-opt, and/or utilize the services of any other expert/agency on a relevant subject, if required.

4. The Terms of Reference of the GMAC are as follows:

i. To prescribe objective criteria for categorizing a technology as "clean and green". The criteria will be consistent with the objective of the national action plan on climate change and the strategy for inclusive sustainable development. The committee may constitute a technical sub-group for the purpose.

ii. To review the eligibility criteria annually as technology is dynamic and evolving constantly.

iii. To constitute and publicize appropriately, a panel of experts/agencies/environment auditors for the purpose of third party certification.

iv. To operate and review the Technology Acquisition and Development Fund. It will formulate guidelines for the operation of the fund and decide on an institutional mechanism for the purpose which would function under its overall supervision.

v. To decide upfront for each sector as to how many units with a specific technology in the particular sector will be supported. The Committee may constitute a technical sub-group for the purpose.

vi. To formulate guidelines for the developer and industrial/institutional units for rainwater harvesting. The

Committee may constitute a technical sub-group for the purpose.

vii. To examine all proposals for incentives under Chapter 4 of the National Manufacturing Policy in accordance with the procedures to be laid down by it.

viii. To present a quarterly report for the information of the MIPB.

[F. No. 9/1/2012-MPS]
ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2012

का.आ. 1271(अ).—राष्ट्रीय विनिर्माण नीति दस्तावेज के अध्याय-1 में शामिल प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के लिए विनिर्माण उद्योग सवंर्धन बोर्ड (एमआईपीबी) का गठन करती है।

2. बोर्ड का गठन निम्नानुसार निम्नानुसार किया गया है:-

(i)	वाणिज्य और उद्योग मंत्री	- अध्यक्ष
(ii)	सचिव, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग	- सदस्य, पदेन
(iii)	सचिव, भारत सरकार, राजस्व विभाग	- सदस्य, पदेन
(iv)	सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(v)	सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(vi)	सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(vii)	सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(viii)	सचिव, भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(ix)	सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	- सदस्य, पदेन
(x)	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	- सदस्य, पदेन
(xi)	उद्योगों के प्रतिनिधि	- सदस्य
(xii)	उद्योगों के प्रतिनिधि	- सदस्य
(xiii)	सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	- सदस्य सचिव

3. यह बोर्ड आवश्यकता होने पर संबंधित राज्यों के उद्योग मंत्रियों को आमंत्रित कर सकता है।

4. एमआईपीबी के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं:

i. देश में विनिर्माण क्षेत्र की समग्र स्थिति की आवधिक समीक्षा करना।

ii. विनिर्माण क्षेत्र के राज्य-वार/क्षेत्र-वार कार्य निष्पादन की समीक्षा करना।

iii. सामान्य रूप से राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन और विशेष रूप से एनआईएमजेड, जहां भी अनुमोदित हो, के विकास की समीक्षा करना।

iv. एक ओर केंद्रीय मंत्रालयों के बीच और दूसरी ओर राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय के मामलों, यदि कोई हो, का समाधान करना।

v. हरित विनिर्माण समिति के कार्य की समीक्षा करना।

vi. विनिर्माण क्षेत्र की और वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य नीतिगत सिफारिशों पर विचार-विमर्श करना।

[फा. सं. 9/1/2012-एमपीएस]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2012

S.O. 1271(E).—In accordance with the provisions contained in Chapter 1 of the National Manufacturing Policy document, the Central Government hereby constitutes a Manufacturing Industry Promotion Board (MIPB) for matters pertaining to the implementation of the National Manufacturing Policy.

2. The Board is constituted as follows:-

(i)	Commerce and Industry Minister	- Chairman
(ii)	Secretary to the Government of India, Department of Economic Affairs	- Member, ex-officio
(iii)	Secretary to the Government of India, Department of Revenue	- Member, ex-officio
(iv)	Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment	- Member, ex-officio

1990 GI/12-4

(v)	Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	- Member, ex-officio
(vi)	Secretary to the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways	- Member, ex-officio
(vii)	Secretary to the Government of India, Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises	- Member, ex-officio
(viii)	Secretary to the Government of India, Ministry of Science & Technology	- Member, ex-officio
(ix)	Secretary to the Government of India, Ministry of Environment and Forests	- Member, ex-officio
(x)	Member-Secretary, National Manufacturing Competitiveness Council	- Member, ex-officio
(xi)	Industry representative	- Member
(xii)	Industry representative	- Member
(xiii)	Secretary, DIPP	Member-Secretary

3. The Board may invite the Industry Ministers of the States concerned if required.

4. The Terms of Reference of the MIPB are as follows:

   i. To periodically review the overall situation of the manufacturing sector in the country.

   ii. To review State-wise/sector-wise performance of the manufacturing sector.

   iii. To review the implementation of the National Manufacturing Policy in general and the development of NIMZs, wherever approved, in particular.

   iv. To resolve co-ordination issues, if any, among central ministries on the one hand and state governments and central ministries on the other.

v. To review the work of the Green Manufacturing Committee.

vi. To deliberate upon any other policy recommendations necessary for the further growth of the manufacturing sector.

[F. No. 9/1/2012-MPS]
ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.